FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — **मुकाम अराई (अजमेर)**

- बाबूपुरी पुत्र छोटूपुरी जाति गोसाई उम्र 63 साल निवारी मामोलाव तहसील अराई जिला अजमेर राज । —प्रार्थी

बनाम

- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य —अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— धारा 131, 136 भू.राज.अधि. 1956

नंबर 56 /2023
ऑनलाइन नंबर 2023 / 126

वकील प्रार्थी :— योगेश शर्मा — **वकील अप्रार्थीगण....................**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.08.2023	**यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राज. अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली 01.09.2023 को पेश हो।** [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **अराई**	
01/9/23.	पत्रावली पेश हुई आज...[illegible]... .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/9/2023 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, अराँई	
15/9/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. । अप्रार्थी नं. 01 के तामील शुदा [illegible] आ. सि. । P.O.M. [illegible] बाद पत्रावली पत्रावली दिनांक 29/9/23 को पेश हो	
29/9/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / जवाब......हेतु समय चाहा/वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 23/10/23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराँई	

मु०नं० : 50/2023
बाबूपुरी बनाम सरकार

13.8.25. पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तारीख जवाब वास्ते इन्तजार हेतु दिनांक 20/8/25 को पेश हो। WD

20/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो। WD

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 56/2023
अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

बाबूपुरी पुत्र छोटूपुरी जाति गोसाई (गुंशाई) उम्र 63 वर्ष निवासी भाभोलाव तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज०

अप्राथी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

निर्णय दिनांक 20.1.8.125

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी कि गैर खातेदारी कृषि आराजी भूमि वाके ग्राम भाभोलाव पटवार हल्का भाभोलाव तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1040/194 रकबा 0.4045 हैक्टयेर है। जिसकी वर्तमान किस्म गै. मु. रास्ता है। वादी के कब्जे काश्त की सहखातेदारी की भूमि ग्राम भाभोलाव पटवार हल्का भाभोलाव तहसील अरांई जिला अजमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 1040/194 रकबा 0.4045 हैक्टयेर जिसकी वर्तमान किस्म गे0मु0रास्ता है को शुद्ध किया जाकर संवत 2024 से 2027 कि जमाबंदी में दर्ज किस्म बंजर 1 को सही मानते हुए वर्तमान किस्म गे0मु0रास्ता से बंजर 1 शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया है । यह कि मुझ प्रार्थी को उपरोक्त कृषि आराजी भूमि जरिये आवंटन खसरा संख्या 194 संवत 2024 से 2027 जरिये नामान्तरण संख्या 88 दिनांक 13/09/1977 को गैर खातेदारी में नामान्तरण तरदीक होकर मौके पर काबिज काश्त होकर निरन्तर जारी है। जिसकी किस्म संवत 2024 से 2027 कि जमाबन्दी में बजर 1 दर्शित है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1040/194 रकबा 0.4045 हैक्टयेर है। उपरोक्त खसरा संख्या बाबत मिलान क्षेत्रफल कि सत्यप्रति सलग्न है। तथा संवत 2041 कि जमाबन्दी में खसरा संख्या 194/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कि किस्म तात्कालीक पटवारी / गिरदावर द्वारा सहवन से त्रुटी पूर्वक गलती से उपरोक्त किस्म बंजर 1 से बदल कर गै. मु. रास्ता दर्ज कर दी गई जो की गलत होने से उपरोक्त किस्म कि शुद्धि करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी भूधारक/भू–स्वामी होने के कारण पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिसके कारण उक्त खसरा नम्बरान में हुई किंस्म त्रुटी को दुरस्त किया जा सके। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भाभोलाव पटवार हल्का भाभोलाव के वर्तमान खसरा नम्बर 1040/194 रकबा 0.4045 हैक्टयेर है। जिसकी वर्तमान किस्म गै. मु. रास्ता है, को शुद्ध किया जाकर संवत 2024 से 2027 कि जमाबन्दी में दर्ज किस्म बंजर 1 को सही मानते हुए वर्तमान किस्म गै. मु. रास्ता से बजर 1 शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रकरण को दिनांक 23.8.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी
किये गये। अप्रार्थीगणो सम्मन नोटिस जारी किए गए । दिनांक 15.9.2023 को अप्रार्थीगणो के
तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए ।दिनांक 6.8.2025 को पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ ।
जिसके संबंध में स्पष्ट मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई । दिनांक 20.8.2025 को तहसीलदार
अराई से स्पष्ट मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई । पेरोकार सरकार तहसीदार अराई का जवाब व मौका जांच
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पेरोकार सरकार के जवाबअनुसार जिसके अनुसार ग्राम भामोलाव
की वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 661 खसरा सं. 1040/194 किस्म गै.मु रास्ता रकबा 0.4045
हैक्टेयर में बाबुपुरी पुत्र छोटूपुरी हिस्सा पूर्ण जाति गोसाई (गुसाई) सा. देह गैर खातेदार दर्ज है।

ग्राम भामोलाव की जमाबन्दी चौसाला संवत 2024–27 के खाता स. 1 (श्री सरकार)
में दर्ज खसरा नं. 194 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा किस्म बंजर 1 में नामा सं. 169 को आवंटन से
खसरा नं. 194/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बंजर 1 अलाटी बाबुपुरी पुत्र छोटूपुरी जाति गुसाई
सा. देह गैर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। तत्पश्चात वर्कींग जमाबन्दी 2041 में उक्त
खसरा नं. 194/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज है। तत्पश्चात की
समस्त चौसाला जमाबन्दी में उक्त खसरा नं. की किस्म गै.मु रास्ता दर्ज है। वर्तमान में उक्त खसरा
नं. 194/3 नवीन खसरा नं 1040/194 में आधी भूमि पर आवासीय मकान बनाकर उक्त भूमि का
उपयोग किया जा रहा है तथा शेष आधी भूमि में नाडी बनी हुई । पेरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट
अनुसार दस्तावेज मय नक्शा प्रति रिपोर्ट तहसीलदार अराई अनुसार शुद्धि किये जाने की अनुशंषा
की है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई
के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार
अरांई को आदेश दिये जातें है कि शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे । तहसीलदार
अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज
दुरूस्ती की जायेगी। राजस्व रिकार्ड में वाद अधीन ग्राम भाभोलाव पटवार हल्का भाभोलाव तहसील
अरांई जिला अजमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 1040/194 रकबा 0.4045 हैक्टयेर जिसकी वर्तमान
किस्म गे0मु0रास्ता है को शुद्ध किया जाकर संवत 2024 से 2027 कि जमाबंदी में दर्ज किस्म बंजर
1 को सही मानते हुए वर्तमान किस्म गे0मु0रास्ता से बंजर 1 शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते
है राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि इन्द्राज की दुरूस्ती करने पर वर्तमान
जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)